

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।



अपील संख्या ..2310 / 2016.....जिला.....जयपुर.....

उनवान - मैसर्स सिद्धी विनायक एन्टरप्राइजेज, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-एम, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.11.2016	<p align="center">खण्डपीठ श्री मदन लाल, सदस्य श्री राजीव चौधरी, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री एस.के. जैन एवं विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित।</p> <p>यह अपील अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2016 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25 के तहत कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 55,29,451/- में से रू0 44,68,244/- की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया एवं शेष बकाया मांग राशि रू0 10,61,207/- को स्थगित नहीं करने का कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। जिसके विरुद्ध यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।</p> <p>उभयपक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। अपने तर्कों में उन्होंने स्पष्ट किया कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष क्रय संव्यवहारों की सत्यता (genuineness) उन्होंने स्पष्ट कर दी थी चूंकि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया था अतः रिवर्स किये गये टैक्स से सम्बन्धित मांग राशि अविधिक है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.03.2015 पूजा ट्रेडिंग कम्पनी बनाम सरकार, कर बोर्ड के अपील संख्या 1824-1825/2008 सीटीओ बनाम विजय ट्रेडर्स निर्णय दिनांक 19.05.2010, आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय (2013) 57 वीएसटी 538 हर्ष ज्वैलर्स बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 28.02.2012, (2016) 92 वीएसटी 380 गुजरात, (2013) 57 वीएसटी 405 दिल्ली शान्तिकिरण इण्डिया प्रा0लि0 बनाम सरकार आदि प्रस्तुत करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि रूपये 10,61,207/- की वसूली अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण तक रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।</p> <p>उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 18.10.2016 का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।</p>	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2310 / 2016.....जिला.....जयपुर.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज -: 2 :-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07 / 11 / 2016	<p>उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सुसंगत अध्ययन किया गया। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी के क्रय किये गये माल के सम्बन्ध में बिल/बिल्टी/बैंक द्वारा भुगतान की स्थिति तथा न्यायिक दृष्टांतों के दृष्टिगत प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशि रूपये 10,61,207/- की वसूली कार्यवाही पर इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उनके समक्ष लम्बित अपील पर नियमित रूप से सुनवाई करते हुए उक्त आदेश की प्राप्ति के दो माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।</p> <p style="text-align: center;">अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  (राजीव चौधरी) सदस्य </div> <div style="text-align: center;">  (मदन लाल) सदस्य </div> </div>	